निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

निर्णय दिनांक 19.11..2020

प्रकरण सं. 3 ए/2019 (अपील)

अनवान

1. बामणी बेवा सोला बंजारा वयस्क निवासी तरजेजा तहसील भदेसर
2. नारायण पिता सोला बंजारा वयस्क निवासी तरजेजा तहसील भदेसर
3. बाबू पिता सोला बंजारा वयस्क निवासी तरजेजा तहसील भदेसर
4. प्रेम पुत्री सोला बंजारा वयस्क निवासी तरजेजा तहसील भदेसर
5. इन्द्रा पुत्री सोला बंजारा वयस्क निवासी तरजेजा तहसील भदेसर
6. पिन्टू पुत्री सोला बंजारा वयस्क निवासी तरजेजा तहसील भदेसर

.... अपीलान्टस

|| बनाम ||

1. गोमा पिता मांगू बंजारा वयस्क निवासी तरजेला तहसील भदेसर
2. हरलाल पिता मांगू बंजारा वयस्क निवासी तरजेला तहसील भदेसर
3. भेरूलाल पिता मांगू बंजारा वयस्क निवासी तरजेला तहसील भदेसर
4. भूमिधारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध नामान्तरण संख्या 54 दिनांक 25.05.2017 तहसीलदार भदेसर

:: निर्णय ::

सारांश मामला इस प्रकार है कि अपीलांट की और से अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत है:–

1. यह कि न्यायालय तहसीलदार भदेसर द्वारा उक्त नामान्तरकरण न्याय निर्णय के विरूद्व जाकर जो नामान्तरण तस्दीक किया हे वह वाकयाती तथ्यों से हटकर गलत खोला गया है जो निरस्त किये जाने योग्य हे ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौडगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:58:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

2. यह कि अपीलान्ट्स की संयुक्त कब्जे काश्त की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात वाके मौजा फतेपुरा प0ह0 आकोला कलां तहसील भदेसर के नवीन खाता संख्या 92 की आराजी नमबर 36 रकबा 1.0800 हैक्टैयर स्थित है जो अपीलान्टस की पुश्तैनी पैतृक सम्पत्ति है जो अपीलान्ट के पिता व पति सोला के जमाने से चली आ रही है । जिसका सजरा इस प्रकार है :–

मन्ना (फोत)
|
मांगू (फोत) वरदी (बेवा) (फोत)
|
सोला (फोत)

बामणी	नारायण	बाबू	प्रेम	इन्द्रा	पिन्टू
(बेवा)	(पुत्र)	(पुत्र)	(पुत्री)	(पुत्री)	(पुत्री)

रेस्पोडेन्टस का सजरा निम्न प्रकार है :–

घासी
|
मांगू
|
वरदी

गोमा	हरलाल	भेरूलाल	साबुडी	जमनाबाई	जानूबाई	नतुबाई	लीलाबाई

3. यह कि उक्त आराजीयात अपीलान्ट के पिता व पति सोला जी के जमाने से चली आ रही हे सोला के वारिसान अपीलान्टस है अपीलन्टस के पिता व पति सोला का देहान्त हो गया है किन्तु रेस्पोन्टस की माता वरदीबाई बेवा मांगू बजारा निवासी तरजला के देहान्त के बाद फतेहपुरा में अपीलान्ट के हक हिस्से की आराजीयात होते हुए भी वरदीबाई बेवा मांगू व सोला पिता मांगू का पिता का नाम जाति व निवासी एक ही गांव के होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बगेर वारीसान की समुचित रूप से जांच किये बगैर अपीलान्ट की बिना

उपखण्ड अधिकारी भदेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:58:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned by TapScanner

जानकारी के नामान्तरण संख्या 54 से रेस्पोडेन्टन्स के नाम पर खोल दिया जबाक अपीलान्टस सोला के विधिक वारिसान होकर उनके वैध उत्तराधिकारी है जिनके नाम पर ना0क0 स्वीकृत किया जाना चाहिये था परन्तु गलत तरीके से रेस्पोन्टस के नाम नामान्तरण स्वीकृत कर दिया जो विधि विरूद्व होकर निरस्त होने योग्य है ।

4. यह कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार भदेसर द्वारा सोला के वारीसान की सही रूप से जांच नहीं की तथा बगैर जांच किये रेस्पोडेन्टस के नाम नामान्तरण तस्दीक कर खोलना न्याय नियम के सिद्वान्त के विररित होकर जो ना0क0 स्वीकृत किया गया है वह निरस्त योग्य हे ।

5. यह कि सोला की मृत्यु पश्चात् अपीलान्टस का प्रत्येक 1/6– 1/6 हक हिस्सा है और इसी हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहें है रेस्पोडेन्टस ने राजस्व कम्रचारियों से मिलकर विधि विरूद्व नामान्तरण स्वीकृत करा लिया तथा अपीलान्ट का संयुक्त रूप से वादग्रस्त आराजीयात पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पुश्तैनी सम्पत्ति जो सोला के जमाने से चली आ रही है सोला के हक हिस्से पर संयुक्त रूप से अपीलान्टस का कब्जा चला आ रहा है तीि वादग्रस्त आराजीयात पुश्तेनी पैतृक सम्पत्ति है जिस पर अपीलान्टस का कब्जा चला आ रहा है तथा बगैर कब्जे की जांच किये व समुचित वारिसान की जांच किये बगैर जो ना0क0 तस्दीक किया है वो विधि विरूद्व होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

6. यह कि वादग्रस्त आराजीया अपीलान्ट की पुश्तैनी पैत्रिक सम्पत्ति है जो अपीलान्ट के पिता व पति सोला के जमाने से चलीं आ रही है तथा अपीलान्टस सोला के वैध उत्तराधिकारी होकर उनके वारीस है तथा रेस्पोडेन्टस ने राजस्व कम्रचारियों व तहसीलदार से मिलनकर उक्त भूमि अपीलान्ट की पुश्तैनी होते हुए फर्जी तरीके से नियम विरूद्व जाकर अपीलान्ट को बगैर सूचना दिये तथा अपीलान्टस को बगैर सुने रेस्पोडेन्टस ने अपने नाम पर नामान्तरकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक करा लिया है वह खिलाफ कानून व खिलाफ जाप्ता होने से निरस्त किये जाने योगय है ।

7.

8. यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार भदेसर द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरण आदेश की पूर्व में अपीलान्ट को पूर्व में नहीं थी अपीलान्ट दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के अनपढ व

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चितौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.05 12:38:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

पहला बार अपीलान्ट को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु खाते की नकल की आवश्यकता होने पर पटवार हल्का आकोला कलां से उक्त आराजीयात की खाते की नकल लेने हेतु पटवारी हल्का के पास गये तो उक्त नामान्तरकरण की जानकारी पहली बार हुई और जानकारी होते ही ना0क0 की नकल लेने हेतु आवेदन पत्र उसी दिनांक 13.09.2019 को नकल हेतु आवेदन पत्र दिया तथा 13.09.2019 को नकल मिली और नकल मिलते ही यह अपील पेश की जा रही है जो जानकारी के अभाव में होने से धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अंदर अवधि पेश है ।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमा

योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार भदेसर द्वारा ना0क0 संख्या 54 दिनांक 25,5,2017 निरस्त फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया । बरोज पेषी रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री नरेन्द्रसिहं पंवार ने वकालत नामा पेश किया ।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी । लायक अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि :– ग्राम में सोला पिता मांगू एक ही नाम के दो व्यक्ति से दोनों व्यक्ति की सकूनत एक ही थी जिसे इस प्रकार से सम्बोधित जा सकता है **प्रथम** सोला पिता मांगू क वारीसान अपीलान्टस (बामणी , नारायण, बाबू , प्रेम , इन्द्रा, पिन्टू) है तथा **द्वितीय** सोला पिता मांगू के वारीसान रेस्पोडेन्टस (गोमा , हरलाल , भेरूलाल , साबूडी, , मनाबाई , जानूबाई, नतुबाई , लीलाबाई) हे । राजस्व कर्मियों द्वारा प्रथम सोला पिता मांगू की विरासत द्वितीय सोला पिता मांगू के वारिसान रेस्पोडेन्टस से नाम नामान्तकरण संख्या 54 दिनांक 25.5.2017 खोल कर स्वीकृत कर दिया है तथा अपीलान्टस को अपने पैतृत पुश्तैनी आराजीयात के हक अधिकारों से वंचित कर दिया है अपीलान्टस् को नहीं सुना गया न ही उनके कब्जे को ध्यान में रखा गया अपने मनमकसूद तरीके से नामान्तरण तस्दीक किया गया हे जो विधि विपरित होने से प्रारम्भ से अवैधानिकता लिये हुए होकर शून्य प्रभावी होने से निरस्त किया जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे । साथ ग्राम पंचायत आकोलाकलां द्वारा जारी प्रमाण पत्र संख्या 11/19 दिनांक 20.9.2019 प्रस्तुत किया गया जिसमें भी प्रमाणित किया गया है कि ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:38:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned by TapScanner

फतेहपुरा की आ0न0 36 रकबा 1.08 हैक्टेयर बामणी बेवा सोला , नारायण , बाबू प्रेम इन्द्र पिन्दू पिता सोला बजांरा की है तथा कब्जा भी इनका ही है उक्त आराजीयात पर गोमा , हरलाल , भेरूलाल पिता मांगू बंजारा का कोई अधिकार नहीं है तथा आराजी भी इनकी नहीं है इन्तकाल नम्बर 54 दिनांक 25.5.2017 गलत खोला गया हे जो निरस्त किये जाने योग्य हे ।

खण्डन में लायक अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने ऐसा कोई ठोस दस्तावेज एवं कारण प्रस्तुत नहीं किया गया कि आलौच्य ना0क0 संख्या 54 में वर्णित आराजीयात रेस्पोडेन्टस की हो न ही अपील मिमों का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया इससे अपील के तथ्य स्वतः साबित होते है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण को तस्दीक किये जाने से उचित रूप से परीक्षण नहीं किया जाने से आलौच्य ना0क0 को निर्णीत करने की भूल की गई होना प्रतीत होता है । राजस्व कर्मी पटवारी/भू0अ0नि0 द्वारा नामान्तरण भरकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया है तो संबंधित पटवारी एवं भू0अ0निरीक्षक के विरूद्व कठोर कार्यवाही प्रस्तावित होनी चाहिए ताकि ऐसी पुरावृत्ति नहीं हो । प्रकरण में गहन अनुसंधान की आवश्यकता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस् स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार भदेसर द्वारा ग्राम फतेहपुरा पटवार मण्डल आकोलाकलां के नामान्तरकरण संख्या 54 पर पारीत निर्णय दिनांक 25.07.2017 त्रृटियुक्त होने से अपास्त किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार भदेसर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में सभी पक्षकारान् को तलव कर जांच पश्चात् नियमानुसार अज सरे नो निर्णय पारीत करें ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:38:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner